

**प्रारूप-छ (संलग्नक-6)**  
**अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)**

यूआईडी संख्या : UPFS/2023/79827/ALB/ALLAHABAD/1585/CFO  
दिनांक : 19-04-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स SHANKAR LAL PUBLIC SCHOOL KANDI ROAD SAHSON PRAYAGRAJ पता 0, KANDI ROAD, SAHSON तहसील - PHULPUR प्लाट एरिया 7840.41 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 1999.20 (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - 1 जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
BLOCK A	2	1	10 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स SHANKAR LAL PUBLIC SCHOOL KANDI ROAD SAHSON PRAYAGRAJ द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 20-04-2023 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री SHISHIR KESHARWANI slpssahson@hotmail.com 9839770011 के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 21-04-2023 से 20-04-2026 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स SHANKAR LAL PUBLIC SCHOOL KANDI ROAD SAHSON PRAYAGRAJ अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स SHANKAR LAL PUBLIC SCHOOL KANDI ROAD SAHSON PRAYAGRAJ अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

**Note :** 1. आवेदक द्वारा शपथ पत्र दिया गया है कि भवन वर्ष 2020 के पूर्व से निर्मित है। सेटबैक के संबंध में सत्ताप्राधिकारी द्वारा निर्णय मान्य होगा/ अतएव शासन के पत्र संख्या 187/छ-पु-8-2022/905(34)/2016 दिनांक 07-01-2022 के आधार पर निर्गत किया जा रहा है, भवन में ढाँचागत परिवर्तन /अतिरिक्त निर्माण कराये जाने की दशा में अग्निशमन विभाग द्वारा पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। 2. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना अनिवार्य होगा। 3. प्रतिवर्ष विहित फीस लेखा शीर्षक में जमा कराने के उपरांत अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व अग्निशमन यंत्रों फायरऑडिट कराना अनिवार्य होगा।

निर्गत किये जाने का दिनांक : 21-04-2023  
स्थान : ALLAHABAD



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

**Rajeev Kumar Pandey**

8DA5490F8C1BCDF5B167752BB7A40B3F521C46EC

21-04-2023

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.

*Shishir Kesharwani*

Manager  
Shankar Lal Public School  
Kandi Road, Sahson, Allahabad

*Rajeev Kumar Pandey*  
Principal  
Shankar Lal Public School  
Kandi Road, Sahson, Prayagraj